हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

दशम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 94

शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 2015/13 अग्रहायण, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

<u>समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)</u>

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

सदन की बैठक प्रारम्भ होते ही माननीय सदस्य, श्री रविन्द्र सिंह और श्री सुरेश भारद्वाज ने माननीय अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि नियम-67 का जो नोटिस उनका था, उसकी वर्डिंग अलग थी। दिनांक 1-12-2015 को माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि श्री रविन्द्र सिंह के नोटिस को मैं स्वीकार करता हूं परन्तु नियम-67 के अन्तर्गत नहीं बल्कि नियम-130 के अन्तर्गत अलाऊ करता हूं। हम वर्डिंग के लिए आग्रह कर रहे हैं, आप उस वर्डिंग को मानिए। उनकी बात का नेता प्रतिपक्ष प्रो० प्रेम कुमार धूमल ने भी समर्थन किया।

इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि माननीय सदस्य श्री रविन्द्र सिंह से दिनांक 30-11-2015 को नियम-67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी, मैंने उसे सदन की सहमति से नियम-130 के अन्तर्गत आज चर्चा हेतु स्वीकृत किया है। मैंने उनके प्रस्ताव में जो उन्होंने विकासात्मक कार्यों का जिक्र किया है उसी विषय पर चर्चा निर्धारित की है। विधान सभा प्रक्रिया नियम 296(1) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि अध्यक्ष अपने विवेक से सूचनाओं को परिचालित करने से पूर्व उनमें संशोधन कर सकता है। इसी के अनुसार मैंने

प्रस्ताव को संशोधित कर चर्चा हेतु निर्धारित किया है। जो आपने विषय की पहली लाईन लिखी थी, मैं उस बारे में आपको शुरू से ही कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के बारे में यदि कोई मैटर है, अगर कोर्ट में या सब-ज्यूडिस है, उसको मैं सदन में चर्चा के लिए अलाऊ नहीं करूंगा। I will not allow that.

(माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था से असंतुष्ट विपक्ष के माननीय सदस्य नारे लगाते हुए अध्यक्षपीठ के आसन के पास इकट्ठे हो गये)

(**माननीय अध्यक्ष महोदय ने शोरगुल के मध्य पूर्वाह्न 11.40 बजे सदन की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया**)